न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 170/2014 (जीसीएमएस **नम्बर 2014/00011**)

1. नन्दलाल पुत्र श्री रामकरण मीना जाति मीना, निवासी दांतरी, तहसील दूदू जिला जयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. रवि अग्रवाल एच.यू.एफ कर्ता रवि अग्रवाल पुत्र बसन्त कुमार अग्रवाल (मृतक) जरिये वारिसान
   1/1. श्रीमती रेणु अग्रवाल पत्नि रवि अग्रवाल निवासी 669, ब्लॉक, ब्लॉक ओ, नीयर अलीपोर, न्यू अलीपोर कोलकाता (पं०बंगाल) पिन 700053।
   1/2. श्रीमती श्रृद्धा हिमतसिंगका पुत्री रवि अग्रवाल निवासी 669, ब्लॉक, ब्लॉक ओ नीयर अलीपोर, न्यू अलीपोर कोलकाता (पं०बंगाल) पिन 700053।
   1/3. श्रीमति श्रुति संदीप अग्रवाल महाजन निवासी 669, ब्लॉक, ब्लॉक ओ, नीम अलीपोर, न्यू अलीपोर कोलकाता (पं०बंगाल) पिन 700053।
   1/4. स्मृति गौरव फौजदार पुत्री रवि अग्रवाल निवासी 669, ब्लॉक, ब्लॉक ओ, नीयर, अलीपोर, न्यू अलीपोर कोलकाता (पं०बंगाल) पिन 700053।
2. आलोक अग्रवाल एच.यू. एफ कर्ता पुत्र बसन्त कुमार अग्रवाल महाजन, निवासी धनसर, धनवाद (झारखण्ड) । जरिये मुख्तयार संदीप अग्रवाल पुत्र श्रवण कुमार अग्रवाल महाजन निवासी -- ओसवाली मोहल्ला मदनगंज – किशनगढ़, जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर।
4. छीतर पुत्र रामचन्द मीना, निवासी दांतरी, तहसील दूदू जिला जयपुर ।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर दिनांक 28.07.2014मुकदमा संख्या 39/2014।

उपस्थित–

1. श्री पवन पारीक, वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र सिंह तंवर रेस्पों. सं0 1 व 2 की ओर से।
3. श्री भगवान सहाय शर्मा रेस्पों सं0 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–03.04.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 28.07.2014 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है किरेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर वाके ग्राम दांतरी तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थिति खाता संख्या 98 के आराजी खसरा नं. 787 रकबा 01 बीघा 15 बीस्वा के पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर) द्वारा अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 बाबत पत्थरगढी स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 28.07.2014 को पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला के निर्णयदिनांक 28.07.2014के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीनन्दलाल पुत्र रामकरण मीनाद्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश 28.07.2014 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस/लिखित बहसद्वारा मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किभूमि खसरा नम्बर 781 अपीलांट के हिस्से व कब्जे की भूमि है। जिस पर अपीलांट काबिज है और न ही मौके पर कोई विवाद है। रेस्पोडेंट्स के द्वारा मौके पर निर्माण कार्य कर चार दीवारी बनवाई जा रही है जिसकी आड में अपीलांट की भूमि को हडपने पर आमादा है। विवादित भूमि के संबंध में नियमित वाद उपखण्ड अधिकारी दूदू के न्यायालय में विचाराधीन है व इसके बावजूद भी समरी कार्यवाही के प्रार्थना पत्र जो मौजूदा रेस्पोडेंट्स द्वारा अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम को दिनांक 28.07.2014 को स्वीकार किया गया है। जबकि पक्षकारों के हित व अधिकार के संबंध में नियमित वाद विचाराधीन हो तो समरी कार्यवाही को स्थिगित रखा जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य व रिपोर्ट जो कि नायब तहसीलदार दूदू द्वारा प्रस्तुत की गई थी उक्त रिपोर्ट में नायब तहसीलदार द्वारा नक्शा लट्ठा उपलब्ध नहीं होना अंकित किया था व इस रिपोर्ट व लट्ठा नक्शा उपलब्ध नहीं होने की रिपोर्ट व तथ्य को अनदेखा करते हुये आदेश अधीनस्थ न्यायालय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण व निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.11.2013 की सीमाज्ञान की कार्यवाही को आधार मानकर आदेश पारित किया गया जबकि उक्त दिनांक 08.11.2013 की कार्यवाही की अपीलान्ट को न तो कोई जानकारी थी न ही उसकी ओर से कोई उपस्थित था उनकी अनुपस्थिति में व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त सीमाज्ञान की कार्यवाही की गई थी जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी और न ही उक्त कार्यवाही जो एकतरफा की गई है अपीलांट पर बाध्यकारी नहीं है व अमान्य है। जबकि मौजूदा रेस्पोडेंट्स द्वारा सीमाज्ञान की आड में अपीलांट व अन्य खातेदारों की भूमि को हडपने की मंशा से कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व रिपोर्ट नायब तहसीलदार दूदू जिसमें लट्ठा नक्शा उपलब्ध नहीं होने का अंकन किया गया था लट्ठा नक्शा के अभाव में सीमाज्ञान की कार्यवाही सम्भव नहीं है इसकी अनदेखी करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमित राजस्व वाद विचाराधीन होने व उक्त वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा भी न्यायालय द्वारा जारी की गई व दूसरी ओर समरी कार्यवाही का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत होने पर सीमाज्ञान का आदेश पारित किया गया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर दिनांक 28.07.2014 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये लिखित बहस पेश कर मुख्य रूप से कथन किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2052–2055 के अनुसार खाता संख्या 98 के आराजी खसरा नम्बर 787 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 788 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम दांतरी तहसील दूदू जिला जयपुर के प्रार्थीगण जरिये नामान्तरकरण संख्या 2053 दिनांक 09.05.2014 के रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण के खेत की मेर सींव के सम्बन्ध में आये दिन विवाद होते रहते हैं । पड़ौसी खातेदार काश्तकार

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 प्रार्थी की आराजी को लेकर विवाद है। पड़ौसी खातेदार काश्तकारों से विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं इसलिए उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। तहसीलदार साहब दूदू के आदेश दिनांक 08.11.2013 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.12.2013 को सीमा ज्ञान करवाये जाने के पश्चात् भी मुताबिक सीमा ज्ञान के आधार पर बाह –जोत नहीं कर प्रार्थीगण की आराजी पर काश्त कर मेर सींव को ताड़ कर दखल करने की प्रार्थीगण को धमकी देने से प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। दिनांक 14.07.2014 को नायब तहसीलदार दूदू द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि प्रार्थी द्वारा ग्राम दांतरी के आराजी खसरा नम्बर 787 व 788 कुल किता 2 कुल रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा की पत्थरगढ़ी चाही है मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के ग्राम दांतरी का नक्शा लट्ठा उपलब्ध नहीं है । भू–प्रबन्ध विभाग से शीट उपलब्ध होने पर पत्थरगढी की कार्यवाही की जा सकती है मौके पर विवाद है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड अवलोकन एवं मुताबिक रिपोर्ट अनुसर प्रार्थी द्वारा सैटलमेन्ट विभाग से भूमि की प्रमाणित शीट उपलब्ध कराने पर, राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश दिया। अतः अपील अपीलांट निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू, जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 28.07.2014 को यथावत रखे जाने का आदेश फरमाया जावें।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट विवादित आराजी के समीपस्थ खातेदार–काश्तकार हैं एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान दिनांक 08.11.2013 उनकी अनुपस्थिति में किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 08.11.2013 पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये हैं। मौके पर सीमाज्ञान के कोई निशानात भी मौजूद नही है ऐसी अवस्था में एकतरफा रूप से किया गया सीमाज्ञान गलत हैं एवं रिपोर्ट नायब तहसीलदार दूदू जिसमें लट्ठा नक्शा उपलब्ध नहीं होने का अंकन किया गया था लट्ठा नक्शा के अभाव में सीमाज्ञान की कार्यवाही सम्भव नहीं है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि यदि किसी भी खातेदार द्वारा उसकी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कराया जाता है तो पडौसी काश्तकारों को सीमाज्ञान हेतु सूचना आवश्यक रूप से दी जाती हैं। परन्तु इसके संबंध में पत्रावली पर सीमाज्ञान सभी पडौसी काश्तकारों के सामने हुई हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया, ना ही अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया हैं कि सहकाश्तकारों द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट एकपक्षीय तैयार की गई है जिससे पक्षकरान् के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें न्यायिक रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था।ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है

अत आदेश है कि :–अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर दिनांक 28.07.2014 निरस्त किया जाता है।

(डॉ. ऑरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर